# अनुबंध

## बाट और माप निरीक्षक, दमण 17 मैनुअलों का स्वत: प्रकाशन

## मैनुअल-I

**बाट और माप कार्यालय की संगठन संरचना**

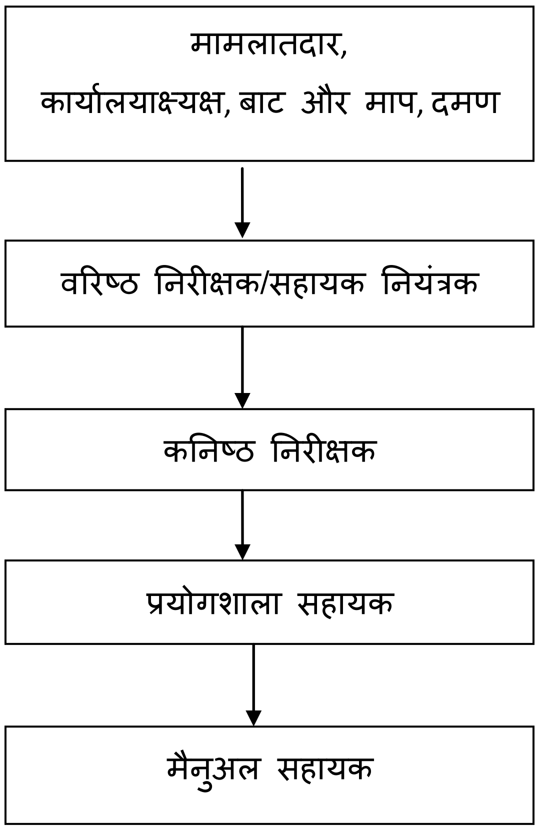

| | |
|---|---|
| 1. | **संगठन इसके कार्यों और कर्तव्यों का विवरण**<br>मामलातदार, दमण बाट और माप निरीक्षणालय, दमण के कार्यालयाध्यक्ष हैं।<br>कलक्टर दमण जो विभागाध्यक्ष हैं , विधिक माप-पद्धति नियत्रंक भी है जिनके सामान्य अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण में विभागीय अधिकारी प्रवर्तन अधिनियम अथवा मानक अधिनियम द्वारा अथवा उनके अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अथवा उन पर अधिरोपित सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् -<br>1. बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के प्रयोक्ताओं का रजिस्टीकरण।<br>2. विनिर्माण, मरम्मत तथा बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान करना।<br>3. बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का सत्यापन और मुहर लगाना।<br>4. बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का निरीक्षण, तलाशी जब्ती और उन्हें अपने कब्जे में लेना।<br>5. सभी उपबंधों का प्रवर्तन कराना तथा धाराओं के उल्लंघन के लिए दण्ड अधिरोपित करना। |
| ii. | **अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्त्यां और कर्तव्य**<br>**I. वरिष्ठ बाट और माप निरीक्षक, दमण:**<br>उन्हें दमण और दीव, दोनों जिलों के लिए बाट और माप सहायक नियंत्रक के रूप में भी घोषित किया गया है।<br>अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों पर समग्र पर्यवेक्षण। सभी प्रकार के बाट , माप, भार और मापन उपकरणों का सामान्य निरीक्षण , आकस्मिक दौरा, सत्यापन और उन्हें मुहरांकित करना तथा सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करना और बाट और माप अधिनियम और नियम के अंतर्गत अंतर्विष्ट उपबंधों का क्रियान्वयन तथा कलक्टर/बाट और माप नियंत्रण के अनुमोदन तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति से दौरा-शिविर लगाना।<br>1. बाट, माप, भार और मापन उपकरणों को जब्त अथवा निरुद्ध करना और अधिनियम एवं नियमों के अनुसार पक्षकारों के विरुद्ध मामले दायर करना।<br>2. सेवा बही अनुरक्षित करना।<br>3. अधीनस्थ कार्मिकों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। |

| | |
|---|---|
| | **II. कनिष्ठ बाट और माप निरीक्षक:**<br>1. स्टाफ के कार्मिकों का समग्र पर्यवेक्षण।<br>2. अधीनस्थ कार्मिकों को सहायता और मार्गदर्शन देना।<br>3. बाट और माप निरीक्षक के मार्गदर्शन के अंतर्गत पैकेज वस्तु अधिनियम और नियम 2009 के अंतर्गत उपबंधों का प्रवर्तन करना।<br>4. समस्त बजटीय, स्थापना और लेखा मामले जिनमें लेखापरीक्षा मामले भी शामिल हैं। फाइलों पर टिप्पण एवं प्रारूपण , डैड स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण तथा निरीक्षक , बाट और माप के मार्गदर्शन के अनुसार अन्य रजिस्टरों और रिकार्डों का रख-रखाव।<br>5. निरीक्षक की दौरा अवधि अथवा शिविर के दौरान कार्यालय के कार्य की देखरेख करना।<br>6. वरिष्ठ निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किए गए अन्य कार्य।<br>7. स्थापना और प्रशासनिक कार्यों का निपटान।<br>**III. प्रयोगशाला सहायक:**<br>1. प्रयोगशाला का रख-रखाव तथा सभी उपकरणों को साफ रखना।<br>2. वेतन बिल और एफ.वी.सी. बिल आदि तैयार करना।<br>3. नकदी, बही, आवक, जावक रजिस्टरों लॉग बुक , चालान फाइल रजिस्टर , प्रयोगशाला रजिस्टर, लेखन-सामग्री रजिस्टर, सेवा डाक-टिकटों के रजिस्टर का रख-रखाव तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ बाट और माप निरीक्षक द्वारा यथा समय सुझाए गए अन्य कार्यों का निष्पादन।<br>4. व्यापारियों के सत्यापन प्रमाण-पत्र तैयार करना।<br>**IV. मैनुअल सहायक**<br>1. समय पर कार्यालय को खोलना और बंद करना।<br>2. आवक, जावक रजिस्टरों, लॉग बुक, चालान फाइल रजिस्टर का रख-रखाव करना।<br>3. व्यापारियों को नोटिस देना।<br>4. वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ बाट और माप निरीक्षक द्वारा यथासमय सुझाए गए अन्य कार्यों का निष्पादन। |
| iii. | **निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही भी शामिल है**<br>प्रवर्तन संबंधी निर्णय प्राधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, जैसा कि अधिनियम और नियमों में उपबंध किया गया है। |

| | |
|---|---|
| iv. | **कत्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक**<br>जैसा कि प्रवर्तन अधिनियम और नियमों में निर्धारित किया गया है। |
| v. | **कार्यालय द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रण में अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन में प्रयुक्तत नियम्, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड**<br>1. बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 2009<br>2. दमण और दीव, बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 2011<br>3. बाट और माप मानक (पैकेजसामग्री) नियम, 2011 |
| vi. | **कार्यालय द्वारा अथवा इसके नियंत्रण में धारित विभिन्न अभिलेखों का विवरण**<br>दस्तावेज - शून्य<br>बाट और माप मानक संदर्भ कार्यालय में रखे जाते हैं। |
| vii. | **इसके नीति निर्धारण अथवा उसके कार्यान्व यन के संबंध में ऐसी किसी व्य वस्था1 का विवर जो जनता के सदस्योंर के प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श हेतु उपलब्धस है।**<br>कोई बोर्ड, समिति आदि गठित नहीं की गई है। |

viii. **दो या अधिक व्यिक्तियों वाले बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों का विवरण जिनका गठन इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए किया गया था और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए अभिगम्या है अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तक जनता के लिए अभिगम्यम है:**

**ix. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका**

| **क्रम सं.** | **नाम** | **पदनाम** | **टेलीफोन नं.** |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री गुलाब ए. पटेल | वरिष्ठ निरीक्षक/सहायक नियंत्रक बाट और माप, दमण | 9825158406 |
| 2. | रिक्त | नियंत्रक बाट और माप निरीक्षक, दमण | |
| 3. | श्री बरथ देउगी | प्रयोगशाला सहायक, बाट और माप, दमण | 9998926990 |
| 4. | श्री तपन एच. दमानिया | मैनुअल सहायक बाट और माप, दमण | 9228243048 |

x.**प्रत्ये5क अधिकारी और कर्मचारी द्‌वारा विनियमों में यथा-प्रावधानित अनुसार क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त्‌ मासिक परिलब्धियां**

| **क्रम सं.** | **नाम** | **पदनाम** | **मूल वेतन+ग्रेड वेतन (रु.)** |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री गुलाब ए. पटेल | वरिष्ठ निरीक्षक/सहायक नियंत्रक बाट और माप, दमण | 12580+2800/- |
| 2. | श्री बरथ देउगी | प्रयोगशाला सहायक , बाट और माप, दमण | 9580+2000/- |
| 3. | श्री तपन एच. दमानिया | मैनुअल सहायक बाट और माप , दमण | 6090+1800/- |

xi.**सभी योजनाओं, प्रस्ताबवित व्यनय और किए गए संवितरण पर रिपोर्टो सहित इसकी प्रत्येक्‌ एजेंसी को आबंटित बजट**

| **क्रम सं.** | **बजट शीर्ष विनियोग की इकाई** | **आबंटित 2015-16 (रु.)** |
|---|---|---|
| | **(1)** | **(2)** |
| 1. | 3475 - योजनेतर | |
| | 01 - वेतन | 13,60,000/- |
| | 06 - चिकित्सा उपचार | 10,000/- |
| | 1 - घरेलू यात्रा व्यय | 10,000/- |
| | 13 - कार्यालय व्यय | 2,80,000/- |
| | 50 - अन्य प्रभार | 1,00,000/- |
| | **योग** | **17,00,000/-** |
| 1. | 3475 - योजनेतर | |
| | 01 - वेतन | 4,00,000/- |

| | | |
|---|---|---|
| | 06 - चिकित्सा उपचार | 1,00,000/- |
| | 1 - घरेलू यात्रा व्यय | 1,00,000/- |
| | 13 - कार्यालय व्यय | 1,00,000/- |
| | 50 - अन्य प्रभार | 1,00,000/- |
| | **योग** | 8,00,000/- |

xiii. **आर्थिक-सहायता कार्यक्रमों के ऐसे कार्यक्रमों के हितलाभकारियों के ब्यौपरे और आबंटित राशि सहित निष्पाथदन का स्वयरूप**

इस कार्यालय द्वारा कोई आर्थिक सहायता कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

xiv. **रियायत, परमिट अथवा इसके द्वारा अनुमत प्राधिकरण के प्रापकों का विवरण**

शून्य

xv. **इसके पास उपलब्धआ अथवा इसके द्वारा धारित इलैक्ट्रोनिक रूप में परिवर्तित सूचना का ब्यौरा**

सार्वजनिक प्रयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

xvi. **नागरिकों को पुस्ततकालय अथवा वाचनालय के कार्यकारी समय , यदि सार्वजनिक प्रयोग हेतु निर्धारित है, सहित सूचना प्राप्ता करने हेतू उपलब्धय सुविधाओं का विवरण**

श्री डी.आर. दमानिया , मामलातदार, दमण, मुख्यालय/बाट और माप निरीक्षणालय , दमण के लिए

**xvii.** ऐसी अन्य सूचना जो विनिर्दिष्ट की जाए:

**बाट और माप कार्यालय , दमण का स्वत: प्रकटन**

1. **अधिप्राप्ति से संबंधित सूचना**

बाट और माप कार्यालय द्वारा कोईऐसी अधिप्राप्ति नहीं की गई है जो 10 लाख रुपए की सीमा से अधिक हो

2. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए कोई करार नहीं किया गया है।

3. **स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश**

पत्तन कार्यालय के लिए यह खंड लागू नहीं है।

4. **आरटीआई आवेदन**

बाट और माप कार्यालय, दमण में कोई आरटीआई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

5. **सीएजी और पीएसी पैरा**

बाट और माप कार्यालय, दमण में सीएजी का कोई पैरा न तो लंबित है और न ही प्राप्त हुआ है।

6. **नागरिक अधिकार-पत्र**

नागरिक अधिकार-पत्र अधिकारिक वेबसाइट www.daman.nic.in पर रखा गया है।

7. **विशेष अथवा गैर-विशेष अनुदान**

बाट और माप कार्यालय, दमण में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

**नागरिक अधिकार-पत्र**
**सहायक विधिक माप-पद्धति नियंत्रक का कार्यालय**
**(बाट और माप)**
**विधिक माप-पद्धति विभाग (बाट और माप)**
**दमण एवं दीव**

**प्रस्तावना**

**विधिक माप-पद्धति विभाग**

'बाट और माप विभाग' का नाम बदलकर 'विधिक माप-पद्धति विभाग' कर दिया गया है, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचना को जारी करते हुए अधिसूचित किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विधिक माप-पद्धति विभाग बार और माप की इकाइयों , मापन और माप उपकरणों की पद्धतियों पद्धतियों तथा जनता के लिए विनियामक रक्षोपायों से संबंधित है।

विधिक माप-पद्धति विभाग उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सेवाओं के मैत्रीपूर्ण प्रशासन के जरिए नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बाट, माप आदि की सुरक्षा और सटीकता के दृष्टिकोण से जनता के हितों का संरक्षण करने की तकनीकी और सांविधिक अपेक्षाओं से संबंधित है।

**विधिक माप-पद्धति विभाग के अधिनियम, नियम, लक्ष्य, उद्देश्य, क्रियाकलाप और कार्य**

यह विभाग एक सांविधिक संगठन है जो संबंधित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत कार्य करता है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

- विधिक माप-पद्धति अधिनियम, 2009
- विधिक माप-पद्धति (पैकेज वस्तु) नियम, 2011
- विधिक माप-पद्धति (सामान्य) नियम, 2011
- विधिक माप-पद्धति (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011
- दमण एवं दीव विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन) नियम, 2011

उक्त अधिनियम और नियमों ने एक मानक पैटर्न का अनुपालन करने के लिए बड़े पैमाने पर विभाग और आम जनता (उपभोक्ता) के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। विभाग केन्द्रीय

अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों के क्रियान्वयन का जिम्मा संभालता है। केन्द्रीय अधिनियम मूल अधिनियम है जो बाट और माप तथा अन्य माल के संबंध में मानक स्थापित करता है, अंतर्राज्यीय व्यापर और वाणिज्य को विनियमित करता है जो भार , मापन अथवा संख्या संख्या के आधार पर बेची अथवा वितरित की जाती हैं तथा पैकेज स्वरूप में बेची जाने वाली वस्तुओं को विनियमित करता है। अधिनियम के अंतर्गत मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली (एसआई) अंगीकृत की गई है। विभाग इस अधिनियम और नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है तथा लोक हित के संरक्षण के लिए उन्हें प्रवर्तित करता है। उक्त केन्द्रीय अधिनियम और अन्य अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन विधिक माप-पद्धति अधिनियम, 2009 के अंतर्गत किया जा रहा है।

**इस संदर्भ में, विभाग राज्य स्तर पर निम्नलिखित सांविधिक कृत्यों का निर्वहन करता है**

- विधि माप-पद्धति मानक अधिनियम , 2006 के अंतर्गत व्यापारियों की इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण।
- बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का प्रारंभिक और आवधिक सत्यापन।
- व्यापारियों के परिसरों का निरीक्षण और औचक दौरे बाट , माप, भार तोलने वाले उपकरणों , यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक , प्रकार की पैकेज्ड वस्तुओं की जांच करने के लिए सभी सामान्य व्यापारियों (दुकानों , स्थापनाओं, ग्रॉसरी, उपभोक्ता सोसाइटियों , आदि) , कारखानों, खनन उद्‌योगों, पेट्रोलियम रिटेल आउटलेटों जैसे डिस्पेंसिंग पंप्स (पेट्रोल पंप) , पेट्रोलियम वाहन टैंकों, पेट्रोलियम भण्डारण टैंकों आदि का विधिक माप-पद्धति अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निरीक्षण।
- संयुक्त छापामारी तथा साप्ताहिक बाजार निरीक्षण और अपराधियों के खिलाफ अभियोजन आरंभ करना।
- बाट, माप, फिलिंग मशीनों (दो वर्ष में एक बार) भार नापने के उपकरणों तथा मापन उपकरणों (वर्ष में एक बार) का सत्यापन।
- माध्यमिक मानको, कार्यकारी मानकों का अनुरक्षण तथा उनका आवधिक सत्यापन।
- पैकेज्ड वस्तुओं पर माप-पद्धति के अनुसार नियंत्रण जिनमें उसके लिए निरीक्षण और औचक दौरे भी शामिल हैं।

- अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ करना , अपराधियों को विधि के दायरे में लाना तथा न्यायालय में मामले दर्ज करना।

- पैकेज्ड वस्तु के विनिर्माता/पैकट पर माप-पद्धति के अनुसार नियंत्रण जिसमें विनिर्माण परिसरों में वस्तुओं की निवल मात्रा की जांच के लिए निरीक्षण और औचक दौरे भी शामिल हैं।

- लाइसेंस जारी करते हुए बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के विनिर्माण/विक्रय/मरम्मत/बिक्री पर नियंत्रण।

- पूर्व-पैक्ड वस्तुओं उपभोक्ता की उपस्थिति में पैक नहीं की जाती है। अत: विधिक माप-पद्धति मानक (पैकेज्ड वस्तु) नियम, 2011 के अनुसार इस बात की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी दी जाए कि प्रत्येक पैकेज्ड वस्तु पर निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे:"

    - विनिर्माता/पैकर का नाम और पता
    - पैकेज में अंतर्विष्ट वस्तु का सामान्य अथवा आम नाम
    - यथास्थिति, भार माप अथवा संख्या के संदर्भ में वस्तु की निवल मात्रा
    - पैकिंग अथवा विनिर्माण का माह और वर्ष
    - सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य
    - कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी।

**संगठनात्मक संरचना**

(i) विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों की सहायता से कार्य करता है।

(ii) कलक्टर/नियंत्रक विधिक माप-पद्धति (आईएएस) विभाग के प्रमुख हैं।

(iii) मामलातदार, दमण (राजपत्रित समूह 'ख') कार्यालयाध्यक्ष है जिनके पास समग्र दमण संघ राज्यक्षेत्र, दमण जिले का नियंत्रण है तथा जांच अधिकारी शहर सर्वेक्षण, दीव कार्यालय प्रमुख हैं जिनके पास दीव जिले का समग्र नियंत्रण है तथा सहायक नियंत्रकों/निरीक्षकों , कनिष्ठ निरीक्षकों आदि के कार्यकरण पर पूर्व नियंत्रण है जो परिनियमों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और अपनी रिपोर्ट उनके संबंधित सहायक नियंत्रकों के माध्यम से प्रस्तुत

करते हैं। सहायक नियंत्रक/निरीक्षक, विधिक माप-पद्धति के कार्यालय का पता टेलीफोन नम्बर के साथ इस प्रकार हैं:

सहायक नियंत्रक विधिक
माप-पद्धति (बाट और माप) का कार्यालय ,
सचिवालय के समीप , एम.पी. कार्यालय के सामने,
फोर्ट क्षेत्र , मोती दमण - 396220

निरीक्षक विधिक माप-पद्धति की उनके कार्यालय में सहायता कार्यालय कार्मिकों द्‌वारा की जाती है जिन्हें कनिष्ठ निरीक्षक, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग') और मैनुअल सहायक (समूह 'घ') के रूप में पदनामित किया जाता है।

इस कार्यालय का निम्नलिखित पर नियंत्रण है:-

**बाट, माप आदि** : बाट, माप आदि का अर्थ है प्रत्येक प्रकार का (मीट्रिक) बाट, माप, भार और मापन उपकरण जिसमें वे ब्रिज, डिस्पेंसिंग पंप (पेट्रोल पंप) भण्डारण टैंक, वाहन टैंक, फिलिंग मशीन आदि शामिल नहीं है।

**व्यापारी** : व्यापारी बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का प्रयोगकर्ता है जिसने स्वयं को विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत किया है अथवा रजिस्टर करने के लिए इच्छुक है।

**अपराधी** : अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जो उक्त संदर्भित अधिनियमों और नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

**विनिर्माता** : विनिर्माता किसी विनिर्माण इकाई का व्यक्ति/स्वामी है, जिसे विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विभाग में आवेदन करना पड़ता है तथा उसे बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है।

**डीलर**: डीलर ऐसा व्यक्ति है जो बाट, माप, भार और मापन उपकरणों में डील करता है जिसे विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विभाग में आवेदन करना पड़ता है तथा जिसे बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का निपटान करने के लिए विभाग द्‌वारा लाइसेंस जारी किया जाता है।

**मरम्मतकर्ता** : मरम्मतकर्ता ऐसा व्यक्ति है जो बाट, माप, भार और मापन उपकरणों की मरम्मत करता है, जिसे विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विभाग में आवेदन करना पड़ता है तथा उसे बाट, माप,

भार और मापन उपकरणों के मरम्मत कार्य को करने के लिए विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है।

**उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बातें:**

- किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार, वाणिज्य अथवा उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले समस्त बाट, माप, भार और मापन उपकरणों की विधि के अंतर्गत निरीक्षक विधिक माप-पद्धति द्वारा आवधिक जांच किया जाना तथा उन पर मुहर लगाया जाना अपेक्षित है। बाट , माप आदि पर सत्यापन की मुहर देखें।

- व्यापारी को अपने व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में उसके अपने हित के लिए हाथ द्वारा किए जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसी हुक अथवा स्टैंड पर लटके हुए बीम स्केल का प्रयोग करना अपेक्षित है।

- उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की खरीद राउंड मीट्रिक में करेगा जैसे 10 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम आदि। इस प्रकार आकलन किए जाने में सुविधा होगी।

- उपभोक्ता को 'पाव किलो' के प्रयोग से बचना चाहिए तथा 200 ग्राम अथवा 200 मिली अथवा दशमलव इकाई के संदर्भ में इसी प्रकार आसानी से आकलित की जाने वाली मात्रा की मांग करनी चाहिए।

- उपभोक्ताओं को दूध की खरीद लीटर अथवा मिलीमीटर में करनी चाहिए , किलोग्राम अथवा ग्राम में नहीं।

- उपभोक्ताओं को निश्चित मात्राएं ही खरीदनी चाहिए तथा इन्हें धनराशि की कीमत द्वारा नहीं खरीदा जाना चाहिए।

- उपभोक्ता को पुरानी इकाइयों पर किसी वस्तु की खरीद करने से इंकार कर देना चाहिए जैसे सेट, फुट आ दि, यह सौदा अवैध है तथा इसमें व्यापारी द्वारा ग्राहक को ठगे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।

- उपभोक्ता को दूध खरीदते समय यह देखना चाहिए कि उन्हें दूध की उचित मात्रा प्राप्त हो गई है जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। झाग आदि के कारण दूध की कम आपूर्ति विधि का उल्लंघन है।

- मिठाई, मिष्ठान आदि खरीदते समय उपभोक्ताओं को उन्हें दी जाने वाली मिठाई के पूर्ण (निवल) वज़न की खरीद पर जोर देना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि डिब्बे का वजन मिठाई के वजन में न जोड़ा जाए।

- पेट्रोल की सही आपूर्ति करने के लिए इस विभाग द्वारा पेट्रोल पंपों की आवधिक जांच की जाती है। कम वितरण किए जाने के संदेह की स्थिति में , उपभोक्ता को विधि माप-पद्धति के प्रवर्तन कार्मिकों को मामले की सूचना देनी चाहिए।

- सिले-सिलाए कपड़े खरीदते समय , उपभोक्ता को केवल मीट्रिक माप आदि द्वारा ही खरीद करनी चाहिए अर्थात् मीटर और सेंटीमीटर में न कि आकार द्वारा। विभिन्न विनिर्माता विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हैं जहां हम ऐसे वस्त्र पाते हैं , जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। कमीजें कॉलर के आकार द्वारा बेची जाती हैं जो एक सेंमी के अंतर से भिन्न हो सकती हैं , जैसे 35 सेंमी, 36 सेंमी, 37 सेंमी आदि। बनियानें सीने के माप से बेची जाती है जो 5 सेंमी के अंतर से भिन्नस होती हैं जैसे 85 सेंमी़90 सेंमी आदि।

- जब आप घर निर्माण के लिए भूमि अथवा भूखंड खरीद रहे हों , तो उपभोक्ता को उसे हेक्टेयर अथवा वर्गमीटर के माप से खरीदना चाहिए। एकड़, गज, फीट, इंच आदि अब प्रवृत्त कानून के अंतर्गत मान्य नहीं रह गए हैं।

- पैकेज्ड वस्तु खरीदते समय , उपभोक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका निवल भार अथवा मापन आईडी पैकेजों पर स्पष्टत: और पढ़े जाने योग्य दर्शाई गई हो। केवल पैकेज का आकार भ्रामक हो सकता है। प्रवृत्त कानून के अंतर्गत सीलबंद पैकेज पर निवल मात्रा का अंकन करना अनिवार्य है।

- उपभोक्ताओं को लेबल्ड मात्राओं को मूल्य के संदर्भ में पढ़ना और उसकी तुलना करनी चाहिए। इस प्रकार, उपभोक्ता बेहतर मोलभाव कर सकेंगे।

- किसी पैकेज्ड वस्तु को खरीदते समय उपभोक्ताओं को यह जांच करनी चाहिए कि संबंधित पैकेज पर मूल अंकित मूल्य धुंधला तो नहीं है अथवा दोबारा तो नहीं लिखा गया है अथवा नए बढ़े हुए मूल्य का उस पर स्टीकर तो नहीं चिपकाया गया है।

- रसोई गैस खरीदते समय उपभोक्ता को यह देखना चाहिए कि गैस की निवल मात्रा तथा सिलेंडर का वजन उस गैस सिलेंडर पर अंकित है तथा उसकी सील लगी हुई है। गैस की कम

मात्रा के विषय में संदेह होने पर उपभोक्ता उनकी उपस्थिति में उसका फिर से वजन करने की मांग कर सकते हैं।

- किसी पैकेज्ड वस्तु जैसे सीमेंट खरीदते समय उपभोक्ता को उनकी उपस्थिति में उसका पुन: वजन करने के लिए कहना चाहिए यदि वे अपने द्वारा दी गई कीमत की एवज में सही मात्रा खरीदना चाहते हैं।
- किसी वस्तु के मूल्य का निर्णय न केवल उसकी गुणवत्ता से लगाया जाता है बल्कि उसकी मात्रा से भी लगाया जाता है। उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए कि उन्हें उसकी राशि के अनुसार वस्तु की पूर्ण मात्रा प्राप्त हो।

## अनुबंध - I

## लोक शिकायतों और उनके निपटान की पद्धति तथा व्यापारियों/उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए समय-सीमा

| क्रम सं. | कार्य की मद | समय-सीमा | किससे संपर्क करें |
|---|---|---|---|
| 1. | बाट, माप आदि का सत्यापन/पुनर्सत्यापन और मुहरांकन | बाट अथवा माप को प्रस्तुत किए जाने से 5 दिन। भार और मापन उपकरणों के लिए उनके प्रस्तुत किए जाने से 5 दिन | विधिक माप-पद्धति निरीक्षक, दमण |
| 2. | बाट, माप आदि का रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना | आवेदन प्रस्तुत करने के सात दिन के भीतर अथवा देय तारीख को , जो भी बाद में हो। | विधिक माप-पद्धति निरीक्षक, दमण |
| 3. | प्री-पैक्ड वस्तुओ के विनिर्माताओं/पैकेटों को रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना | आवेदन के 30 दिन भी भीतर | सहायक निरीक्षक/ निरीक्षक, विधिक माप-पद्धति की पैकेज वस्तुएं |
| 4. | मरम्मतकर्ताओं, डीलरों और विनिर्माताओं के लिए नया लाइसेंस जारी करना | आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 30 दिन भी भीतर | नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक माप-पद्धति |
| 5. | मरम्मतकर्ताओं, डीलरों और विनिर्माताओं के लिए नया लाइसेंस का नवीकरण | आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 30 दिन भी भीतर | सहायक नियंत्रक , विधिक माप-पद्धति |
| 6. | प्री-पैक्ड वस्तुओं के विनिर्माता/पैकर के रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तनों का समावेश करना | आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 15 दिन भी भीतर | सहायक नियंत्रक , विधिक माप-पद्धति |
| 7. | बाट और माप उपकरणों के मरम्मतकर्ताओं , डीलरों तथा विनिर्माताओं के | आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 15 दिन भी भीतर | सहायक नियंत्रक , विधिक माप-पद्धति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | लाइसेंसों में किए जाने वाले आशोधन/परिवर्तन | | |
| 8. | बाट और माप उपकरणों के मरम्मतकर्ताओं , डीलरों तथा विनिर्माताओं को डुप्लीकेट लाइसेंस की प्रति जारी करना | आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 15 दिन भी भीतर | सहायक नियंत्रक , विधिक माप-पद्धति |
| 9. | बाट और माप विधियों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शिकायत पर कार्रवाई | शिकायत प्रस्तुत किए जाने के 20 दिन भी भीतर शिकायत प्रस्तुत | सहायक नियंत्रक/ निरीक्षक, विधिक माप-पद्धति |
| 10. | वस्तुओं के विनिर्माताओं अथवा पैकेरों के लघु पतों का पंजीकरण , यदि वह पैकेज्ड रूप में है | आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 30 दिन भी भीतर | सहायक नियंत्रक/ विधिक माप-पद्धति |
| 11. | त्रुटियों के अनुमेय अधिकतम सीमा से बाहर होने के मामले में विनिर्माता अथवा पैकर के परिसर में निवल मात्रा की जांच के नए परीक्षण | यदि विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया गया है , तो प्रथम परीक्षा की समाप्ति के तुरंत उपरांत | सहायक नियंत्रक/ निरीक्षक, विधिक माप-पद्धति |

**विभिन्न उल्लंघन जो विभाग की प्रवृत्त विधियों के अंतर्गत उपभोक्ता हित को प्रभावित करते हैं**

- नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपकरणों के अलावा अन्य बाट , माप, भारत और मापन उपकरणों का प्रयोग।
- मानक इकाइयों गैर बाट , माप, भार और मापन उपकरणों के अलावा कोटेशनों आदि का प्रयोग करना।
- बिना वैध लाइसेंस के बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का विनिर्माण, मरम्मत अथवा बिक्री करना।
- प्रवृत्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों के अलावा बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का विनिर्माण, विक्रय करना।
- बिना मुहरांकित बाट, माप, भार और मापन उपकरणों की बिक्री करना।
- देय तारीख को अथवा उसके उपरांत सत्यापित अथवा मुहरांकित न हो पाए , बाट, माप, भार और मापन उपकरणों का प्रयोग करना।
- विधि-माप-पद्धति विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को प्रदर्शित न करना।
- प्री-पैक्ड वस्तु चाहे वह राज्य में निर्मित हुई है , अंतर्राज्यीय स्तर पर निर्मित हुई है अथवा आयात की गई है, तब तक बेची, वितरित, डिलीवर, प्रदर्शित अथवा विक्रय के लिए भण्डारित नहीं की जाएगी जब तक पैकेज द्वारा अधिनियम और नियमों का अनुपालन न किया गया हो।
- लेन-देन में किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से मुद्रा को जाली बना , उससे छेड़छाड़ करना अथवा उसे हटाना अथवा किसी बाट अथवा माप में वृद्धि करना , उसे मिटाना अथवा उसमें परिवर्तन करना।
- गैर-मानक के बार अथवा माप अथवा भार और मापन उपकरणों द्वारा वस्तुओं की बिक्री अथवा वितरण।
- लेन-देन में प्रयोग करने के लिए गैर-मानक वाले बार अथवा माप अथवा भार अथवा मापन उपकरण रखना।
- किसी वस्तु की बिक्री संविदा की गई मात्रा से कम करना अथवा किसी सेवा को उसके लिए संविदा की गई मात्रा से कम करना अथवा सेवा के लिए संविदा की गई मात्रा से अधिक सेवा प्राप्त करना।

- अनुमोदित मानक बाट अथवा माप आदि के अलावा किसी अन्य मानक बाट और माप के प्रयोग से कोई संविदा अथवा करार करना।
- विधिक माप-पद्धति विभाग द्वारा अधिनियम/नियमों के अंतर्गत जारी किए लाइसेंस में परिवर्तन और उसके साथ छेड़छाड़ करना।
- अस्वीकृत किए गए बाट, माप, भार और मापन उपकरणों की बिक्री अथवा वितरण करना।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से स्वयं को विधिक माप-पद्धति विभाग के नियंत्रक , सहायक नियंत्रक, निरीक्षक अथवा किसी अन्य कर्मचारी के रूप में कपटपूर्ण प्रस्तुत नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति विधिक माप-पद्धति विभाग को उस समय गलत जानकारी नहीं देगा जब उससे ऐसी जानकारी मांगी गई हो अथवा पूछी गई हो अथवा कोई व्यक्ति न तो गलत विवरणियां प्रस्तुत करेगा और न ही झूठे अभिलेख और रजिस्टरों का रख-रखाव करेगा।
- कोई भी नियोजन उसके कर्मचारी द्वारा कारित अपराधों के लिए प्रतिनिधिमूलक उत्तरदायित्व का परिहार नहीं करेगा।
- कोई व्यक्ति किसी वस्तु को तब तक पैक नहीं करेगा जब तक उसने स्वयं को बाट और माप मानक (पैकेज्ड वस्तु) नियम, 2011 के अनुरूप रजिस्टर न कर लिया हो।
- विनिर्माता, पैकट और थोक विक्रेता सहित कोई भी खुदरा डीलर अथवा अन्य व्यक्ति पैक्ड रूप में किसी वस्तु की बिक्री उसके पैकेज पर मुद्रित अथवा उस पर लगे लेबल पर अंकित खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक पर नहीं करेगा।
- कोई पैकेज तब तक बेचा , वितरित किया अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित किया नहीं जाएगा जब तक कि उस पर लगे लेबल पर उसकी मात्रा घोषित न की गई हो।
- कोई एलपीजी सील को तोड़ते हुए अथवा उसकी निवल मात्रा का उल्लेख किए बिना बेची नहीं जाएगी।

**उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए अतिरिक्त सूत्र**

- क्या आपको किसी व्यापारी अथवा औद्योगिक स्थापना द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे बाट अथवा माप आदि की सटीकता के विषय में संदेह है?

- यदि हाँ, तो बाट अथवा माप आदि पर इस विभाग की सत्यापन स्टैंप की सील देखें तथा इस विभाग द्वारा जारी सत्यापन-प्रमाणपत्र दिखाने की मांग करें। यदि माप फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो अपने क्षेत्र (अधिकारिता) के प्रर्वतन अधिकारियों से संपर्क करें।

- क्या आपको बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के प्रयोग से किसी व्यापार द्वारा ठगा गया है?

    - यदि हां, तो कृपया अपने क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी से तत्काल संपर्क करें और उस घटना की जानकारी और अपनी टिप्पणियां उन्हें दे। इस विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान स्वयं भी वहां उपस्थित रहें।

- क्या कोई व्यापारी या पथ-विक्रता आपको गैर-मानक इकाई में वस्तुएं लेने के लिए विवश करता है?

    - यदि हां, तो ऐसे मामले में केवल मानक इकाइयों में ही वस्तुओं को देने की मांग करें और उस पर कायम रहें। पेल्ली, पाड, रथ, फीट, टोला आदि बाट और माप की गैर-मानक इकाइयां हैं। ये अवैध हैं तथा प्रवृत्त वर्तमान कानून व्यापार अथवा वाणिज्य के किसी भी लेन-देन में इनके प्रयोग को प्रतिषिद्ध करता है। ऐसी गैर-मानक इकाइयों द्वारा किसी लेन-देन के ध्यान में आने पर अपने क्षेत्र/अधिकारिता के प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क करें तथा उन्हें इन गलत कार्रवाइयों के विषय में सूचित करें।

- क्या आप मानक इकाइयों से भिन्न अन्य इकाइयों में दर्शाए गई किसी विज्ञापित अथवा प्रदर्शित वस्तु की मात्रा को लेकर भ्रमित हैं?

    - तो मानक इकाई के संदर्भ में उसकी मात्रा बताने की मांग की जिए अथवा यह जोर दीजिए कि उस प्रदर्शित वस्तु अथवा विज्ञापन में केवल मानक इकाइयों का प्रयोग करते हुए बदलाव किए जाएं।

- क्या आप पैकेज्ड रूप में वस्तुएं खरीदते हैं?

    - यदि हां, तो पैकेजों पर निम्नलिखित अनिवार्य घोषणाओं को अवश्य देखिए:

        * विनिर्माता/पैकर का नाम और पता
        * वस्तु का सामान्य अथवा जेनरिक नाम
        * वस्तु की निवल मात्रा
        * पैकिंग/विनिर्माण का माह और वर्ष

* अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य
* कोई अन्य जानकारी

**नागरिकों/उपभोक्ताओं से अपील**

- बाट और माप विधियों पर जानकारी प्राप्त करना, विभाग द्वारा संचालित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना तथा विभाग के साथ निरंतरण संपर्क बनाए रखना।
- विभाग के प्रवृत्त कानूनों के उपबंधों की उपेक्षा न करना तथा उक्त कानूनों को प्रवर्तित करने में विभाग की सहायता करना।
- किसी वस्तु के कम भार/माप के द्वारा अनाचार अथवा विभाग के प्रवृत्त किसी कानून के किसी अन्य उल्लंघन की घटना के बारे में विधिक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल सूचना देना।
- यदि कोई त्रुटि ध्यान में आती है , तो उसकी जानकारी संबंधित क्षेत्र/अधिकारिता के प्रवर्तन अधिकारी को देने में सहयोग देना ताकि उस अनाचार को दर्ज किया जा सके और यह कार्यालय ऐसी त्रुटि के लिए कार्यवाही करने में समर्थ हो सके जिसमें जुर्माना अधिरोपित करना और जुर्माना अदा न कर पाने की स्थिति में न्यायालय में मामला दाखिल किया जा सके।
- विभाग के वर्तमान क्रियाकलापों में सुधार लाने के लिए सहयोग देना और अतिरिक्त सुझाव देना, यदि कोई हैं।

## अनुबंध - II

## विधिक माप-पद्धति (बाट और माप) : लाइसेंस

| क्रम सं. | सेवा का विवरण | अर्हता | अपेक्षित दस्तावेज | भुगतान किया जाने वाला शुल्क | निपटान का समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के लिए विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करना | *जो बाट और माप के विनिर्माण में कार्यरत हैं* | * विनिर्दिष्ट प्ररूप एलएम- I में आवेदन<br>* भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति<br>* व्यापार परिसर के स्वामित्व के प्रमाण/किराया करार की सत्यापित प्रति<br>* विद्युत संस्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति<br>* भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति<br>* संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद की सत्यापित प्रति<br>* प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटार्नी की सत्यापित प्रति<br>* परियोजना रिपोर्ट की सत्यापित प्रति<br>* अपेक्षित कच्ची सामग्री की सूची<br>* अपेक्षित मशीनों और उपकरणों की सूची<br>* प्रयोग किए गए और | दमण एवं दीव विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन नियम-2011) की अनुसूची IV के अनुसार | एक माह के भीतर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनुरक्षित बाट और माप की सूची<br>* एस.एम.आई. रजिस्ट्रीकरण अथवा डीआईसी कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति<br>* कंपनी के निदेशकों/भागीदारी की सूची, समय-समय पर यथा संशोधित | | |
| 2. | बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के लिए डीलर लाइसेंस प्रदान करना | *जो बाट और माप कार्य में संलिप्त है* | * विनिर्दिष्ट प्ररूप एलडी-I में आवेदन<br>* भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति<br>* व्यापार परिसर के स्वामित्व के प्रमाण/किराया करार की सत्यापित प्रति<br>* विद्युत संस्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति<br>* भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति<br>* संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद की सत्यापित प्रति<br>* प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटार्नी की सत्यापित प्रति<br>* परियोजना रिपोर्ट की सत्यापित प्रति<br>* अपेक्षित कच्ची सामग्री की | दमण एवं दीव विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन नियम-2011) की अनुसूची IV के अनुसार | एक माह के भीतर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सूची<br>* अपेक्षित मशीनों और उपकरणों की सूची<br>* प्रयोग किए गए और अनुरक्षित बाट और माप की सूची<br>* एस.एम.आई. रजिस्ट्रीकरण अथवा डीआईसी कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति<br>* कंपनी के निदेशकों/भागीदारी की सूची, समय-समय पर यथा संशोधित | | |
| 3. | मरम्मत लाइसेंस प्रदान करना | *जो बाट और माप के मरम्मत कार्य में संलिप्त है।* | * विनिर्दिष्ट प्ररूप एलआर- I में आवेदन<br>* व्यापार परिसर के स्वामित्व के प्रमाण/किराया करार की सत्यापित प्रति<br>* विद्युत संस्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति<br>* भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति<br>* संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद की सत्यापित प्रति<br>* प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटार्नी की सत्यापित प्रति<br>* परियोजना रिपोर्ट की सत्यापित प्रति | दमण एवं दीव विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन नियम-2011) की अनुसूची IV के अनुसार | एक माह के भीतर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | * अपेक्षित कच्ची सामग्री की सूची<br><br>* अपेक्षित मशीनों और उपकरणों की सूची<br>* प्रयोग किए गए और अनुरक्षित बाट और माप की सूची<br>* एस.एम.आई. रजिस्ट्रीकरण अथवा डीआईसी कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति<br>* कंपनी के निदेशकों/भागीदारी की सूची, समय-समय पर यथा संशोधित<br>* शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति<br>* अनुभव प्रमाण पत्र | | |
| 4. | विधिक माप-पद्धति (पैकेज्ड वस्तु) नियम, 2011 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना | जो व्यवसायी दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के भीतर पैकिंग कार्य में संलिप्त है | * विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन<br>* व्यापार परिसर के स्वामित्व के प्रमाण/किराया करार की सत्यापित प्रति<br>* विद्युत संस्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति<br>* भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति<br>* संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद की सत्यापित प्रति<br>* प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटार्नी की | 500/- रुपए | एक माह |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सत्यापित प्रति<br>* एस.एम.आई. रजिस्ट्रीकरण अथवा डीआईसी कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति<br>* कंपनी के निदेशकों/भागीदारी की सूची, समय-समय पर यथा संशोधित<br>* विभिन्न पैकिंग आकारों में पैक की गई मदों की सूची | | |
| 5. | बाट और माप और मापन के लिए विनिर्माण और डीलर लाइसेंसों का नवीकरण | जिनके लाइसेंस समाप्त होने वाले हैं | * विनिर्दिष्ट प्ररूप एलएम- I और एलडी-II में आवेदन<br>* मूल लाइसेंस<br>* शुल्क संप्रेषण की रसीद की प्रति<br>* डब्ल्यू एवं एम अधिनियम के अनुसार आवधिक विवरणी<br>* परिसर के स्वामित्व का प्रमाण<br>* किराया करार<br>* पावर ऑफ अटार्नी की प्रति | दमण एवं दीव विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन नियम-2011) की अनुसूची IV के अनुसार | 30 दिन के भीतर |
| 6. | बाट और माप के लिए मरम्मत लाइसेंसों का | जिनके लाइसेंस समाप्त होने वाले हैं | * विनिर्दिष्ट प्ररूप एलएम- II में आवेदन<br>* मूल लाइसेंस<br>* शुल्क संप्रेषण की रसीद की प्रति<br>* डब्ल्यू एवं एम अधिनियम | दमण एवं दीव विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन नियम-2011) की | 30 दिन के भीतर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | नवीकरण | | के अनुसार आवधिक विवरणी<br>* परिसर के स्वामित्व का प्रमाण | अनुसूची IV के अ नुसार | |
| 7. | बाट और माप, भार और मापन उपकरणों, पेट्रोल पंपों आदि सत्यापन/ पुनप्रर्मणन | वे बाट और माप जिनका प्रयोग दमण एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र में किया जाता है। | * सादे कागज पर निरीक्षक बाट और माप को आवेदन करें<br>* कारखाने अथवा दुकान परिसर में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के बाट, माप, भार और मापन उपकरणों के संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत मरम्मतकर्ता से अशांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए<br>* बाट और माप के क्रय बीजक अथवा पुराने सत्यापन प्रमाण-पत्र की प्रति | दमण एवं दीव विधिक माप-पद्धति (प्रवर्तन नियम-2011) की अनुसूची Ix के अ नुसार | 5 दिन के भीतर |

**अनुसूची IX**

**(नियम 17 देखे)**

**भार, मापन तथा भार और मापन उपकरणों के सत्याकपन और मुहर हेतु देय शुल्कन**

**1.भार**

**(क) बुलियन भार**

| **वर्ग** (1) | **प्रति नग शुल्कल रु(पये)** (2) |
|---|---|
| 10 कि.ग्रा. | 30.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 500 ग्राम | 15.00 |
| 200 ग्राम | 15.00 |
| 100 ग्राम | 15.00 |
| 50 ग्राम | 15.00 |
| 20 ग्राम | 15.00 |
| 10 ग्राम | 15.00 |
| 5 ग्राम | 15.00 |
| 2 ग्राम | 15.00 |
| 1 ग्राम | 15.00 |

**(ख) कैरट भार**

| | |
|---|---|
| 100 ग्राम (500 कैरट) | 20.00 |
| 40 ग्राम (200 कैरट) | 20.00 |
| 20 ग्राम (100 कैरट) | 20.00 |
| 10 ग्राम (50 कैरट) | 20.00 |
| 4 ग्राम (20 कैरट) | 20.00 |
| 2 ग्राम (10 कैरट) | 20.00 |
| 1 ग्राम (2 कैरट) | 20.00 |
| 400 मि.ग्रा. (2 कैरट) | 20.00 |
| 200 मि.ग्रा.(1 कैरट) | 20.00 |
| 100 मि.ग्रा. (0.5 कैरट) | 20.00 |
| 40 मि.ग्रा.(0.02कैरट) | 20.00 |
| 20 मि.ग्रा.(0.01कैरट) | 20.00 |
| 10 मि.ग्रा.(0.05कैरट) | 20.00 |
| 4 मि.ग्रा.(0.02कैरट) | 20.00 |
| 2 मि.ग्रा.(0.01 कैरट) | 20.00 |
| 1 मि.ग्रा.(0.005 कैरट) | 20.00 |

**(ग) बेलनाकार मुढ प्रकार का भार**

| **वर्ग**<br>**(1)** | **प्रति नग शुल्कलरु(पये)**<br>**(2)** |
|---|---|
| 10 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 10.00 |
| 500 ग्राम | 5.00 |
| 200 ग्राम | 5.00 |
| 100 ग्राम | 5.00 |
| 50 ग्राम | 5.00 |

| | |
|---|---|
| 20 ग्राम | 5.00 |
| 10 ग्राम | 5.00 |
| 5 ग्राम | 5.00 |
| 2 ग्राम | 5.00 |
| 1 ग्राम | 5.00 |

**(घ) शीट मेटल भार (बुलियन के अलावा)**

| **वर्ग**<br>**(1)** | **प्रति नग शुल्क ()**<br>**(2)** |
|---|---|
| 500 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 200 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 100 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 50 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 20 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 10 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 5 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 2 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 1 मि.ग्रा. | 5.00 |

**(ड़) लोह षटकोणीय, मुठभार और समांतरपाईप्डर भार**

| वर्ग<br>(1) | प्रति नग शुल्कर (.)<br>(2) |
|---|---|
| 50 कि.ग्रा. | 25.00 |
| 20 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 10 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 10.00 |
| 500 ग्राम | 5.00 |
| 200 ग्राम | 5.00 |
| 100 ग्राम | 5.00 |
| 50 ग्राम | 5.00 |
| 20 ग्राम | 5.00 |
| 10 ग्राम | 5.00 |
| 5 ग्राम | 5.00 |
| 2 ग्राम | 5.00 |
| 1 ग्राम | 5.00 |

**(च) अधिक क्षमता भारत्तोललन मशीनों के परीक्षण हेतु मानक भार**

| वर्ग<br>(3) | अधिकतम अनुमत संगत त्रुटि 0.05/10000 के संगत शुल्कि | संगत त्रुटि 3.3/10000,1.7/10000 और 1.0/10000 के अनुरूप शुल्क |
|---|---|---|
| 100 कि.ग्रा. | 75.00 | 50.00 |
| 200 कि.ग्रा. | 150.00 | 100.00 |
| 500 कि.ग्रा. | 300.00 | 200.00 |
| 1000 कि.ग्रा. | 750.00 | 500.00 |
| 2000 कि.ग्रा. | 1500.00 | 1000.00 |
| 5000 कि.ग्रा. | 3000.00 | 2000.00 |

**2. क्षमता मापन**

| वर्ग<br>(1) | प्रति नग शुल्कष (.)<br>(2) |
|---|---|
| 100 ली. और अधिक | प्रथम 100 लीटर के लिए 50 और प्रत्ये क अतिरिक्तक 100 लीटर अथ उसके भाग के लिए 7, अधिकतम- 5000 रुपये तक |
| 50 ली. | 50.00 |
| 20 ली. | 20.00 |
| 10 ली. | 20.00 |
| 5 ली. | 10.00 |
| 2 ली. | 10.00 |
| 1 ली. | 10.00 |
| 500 मि.ली. | 10.00 |
| 200 मि.ली. | 10.00 |
| 100 मि.ली. | 10.00 |
| 50 मि.ली. | 10.00 |
| 20 मि.ली. | 10.00 |
| 10 मि.ली. | 10.00 |
| 5 मि.ली. | 10.00 |
| 2 मि.ली. | 10.00 |
| 1 मि.ली. | 10.00 |

**3. लंबाई मापन**

**(क) गैर-लोचदार**

| **वर्ग**<br>**(1)** | **प्रति नग शुल्कबरुपये**<br>**(2)** |
|---|---|
| 2 मी. | 10.00 |
| 1 मी. | 10.00 |
| 0.5 मी. | 20.00 |
| 1मी. | 20.00 |
| 0.5मी. | 20.00 |

**(ख) फैब्रिक प्ला स्टिक/बुना/स्टी ल टेप**

| **सटीकता वर्ग**<br>**(1)** | **प्रति मीटर शुल्क रुपये**<br>**(2)** |
|---|---|
| श्रेणी I | 1.00 |
| श्रेणीII | 0.50 |
| श्रेणीIII | 0.50 |

**(ग) फोल्डिंग स्केुल**

| **वर्ग**<br>**(1)** | **प्रति नग शुल्क। रुपये(2)** |
|---|---|
| 1 मी. | 10.00 |
| 0.5 मी. | 10.00 |

**(ड़) सर्वेइंग चेन**

| वर्ग<br>(1) | प्रति नग शुल्क रुपये(2) |
|---|---|
| 30 मी. | 100.00 |
| 20 मी. | 100.00 |

**4. बीम स्के ल**

**(क) कक्षा क और ख**

| वर्ग<br>(1) | प्रति नग शुल्कमरूपये(2) |
|---|---|
| 200 कि.ग्रा. | 400.00 |
| 100कि.ग्रा. | 300.00 |
| 50कि.ग्रा. | 150.00 |
| 20कि.ग्रा. | 150.00 |
| 10कि.ग्रा. | 150.00 |
| 5कि.ग्रा. | 100.00 |
| 2कि.ग्रा. | 100.00 |
| 1कि.ग्रा. | 100.00 |
| 500कि.ग्रा.और उससे कम | 60.00 |

**(ख) बीम स्के.ल श्रेणी ग और घ**

| वर्ग<br>(1) | प्रति नग शुल्कमरूपये (2) |
|---|---|
| 1000 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 500 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 300 कि.ग्रा. | 200.00 |

| | |
|---|---|
| 200 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 100 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 50 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 20 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 10 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 500 ग्राम व नीचे | 10 .00 |

**5. स्वाचालन रहित मापन उपकरण-यांत्रिकी (एनालोग) श्रेणी III और IIII**

| | |
|---|---|
| 400 ट | 4000.00 |
| 300 ट | 3000.00 |
| 200 ट | 3000.00 |
| 150 ट | 2000.00 |
| 100 ट | 2000.00 |
| 80 ट | 2000.00 |
| 60 ट | 2000.00 |
| 50 ट | 2000.00 |
| 40 ट | 2000.00 |
| 30 ट | 2000.00 |
| 25 ट | 2000.00 |
| 20 ट | 2000.00 |
| 15 ट | 2000.00 |
| 10 ट | 1000.00 |
| 5 ट | 500.00 |
| 3 ट | 400.00 |
| 2 ट | 400.00 |
| 1500कि.ग्रा. | 300.00 |
| 1000कि.ग्रा. | 300.00 |

| | |
|---|---|
| 500कि.ग्रा. | 300.00 |
| 300कि.ग्रा. | 300.00 |
| 250कि.ग्रा. | 200.00 |
| 200कि.ग्रा. | 100.00 |
| 150कि.ग्रा. | 100.00 |
| 100कि.ग्रा. | 100.00 |
| 100कि.ग्रा. | 100.00 |
| 50कि.ग्रा. | 100.00 |
| 30कि.ग्रा. | 100.00 |
| 25कि.ग्रा. | 60.00 |
| 20कि.ग्रा. | 60.00 |
| 15कि.ग्रा. | 30.00 |
| 10कि.ग्रा. | 30.00 |
| 5कि.ग्रा. | 30.00 |
| 3कि.ग्रा. | 30.00 |
| 2कि.ग्रा. | 30.00 |
| 1कि.ग्रा. | 15.00 |
| 500 ग्राम और नीचे | 15.00 |

### 6. स्वरचालन रहित मापन उपकरण-इलैक्ट्रोनिक श्रेणीII और III

| | |
|---|---|
| 400 ट | 4000.00 |
| 300 ट | 3000.00 |
| 200 ट | 3000.00 |
| 150 ट | 2000.00 |
| 100 ट | 2000.00 |
| 80 ट | 2000.00 |
| 60 ट | 2000.00 |
| 50 ट | 2000.00 |
| 40 ट | 2000.00 |
| 30 ट | 2000.00 |
| 25 ट | 2000.00 |
| 20 ट | 2000.00 |
| 15 ट | 2000.00 |
| 10 ट | 1000.00 |
| 5 ट | 1000.00 |
| 3 ट | 500.00 |
| 2 ट | 500.00 |
| 1500 कि.ग्रा. | 250.00 |
| 1000 कि.ग्रा. | 250.00 |
| 500 कि.ग्रा. | 250.00 |
| 300 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 250 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 200 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 150 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 100 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 100 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 50 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 30 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 25 कि.ग्रा. | 200.00 |

| | |
|---|---|
| 20 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 15 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 10 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 3 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 500 ग्राम और नीचे | 100.00 |

**7. स्वरचालन रहित मापन उपकरण यांत्रिकी और इलैक्ट्रोनिक श्रेणी व ।।**

| **क्षमता** | **शुल्का** |
|---|---|
| 50ट से अधिक | 3000.00 |
| 50ट से अधिक नहीं किंतु 10ट से अधिक | 2000.00 |
| 10ट से अधिक नहीं किंतु 1ट से अधिक | 1000.00 |
| 1ट से अधिक नहीं किंतु 50ट से अधिक | 500.00 |
| 50ट से अधिक नहीं किंतु 10ट से अधिक | 250.00 |
| 10ट से अधिक नहीं | 200.00 |

## 8. स्व चालित भारोत्तोअलन उपकरण

| **क्षमता** | **शुल्का** |
|---|---|
| 100ट से अधिक | 4000.00 |
| 100ट से अधिक नहीं किंतु 50ट से अधिक | 3000.00 |
| 50ट से अधिक नहीं किंतु 10ट से अधिक | 2000.00 |
| 10ट से अधिक नहीं किंतु 1ट से अधिक | 1000.00 |
| 1ट से अधिक नहीं किंतु 50कि.ग्रा. | 500.00 |
| 50 कि.ग्रा. से अधिक नहीं किंतु 10 कि.ग्रा. से अधिक | 250.00 |
| 10कि.ग्रा. से अधिक नहीं | 200.00 |

### मात्रात्मिक मापन उपकरण

**(क)** वितरक पंप प्रत्ये क पंप :1000.00 प्रति इकाई

**(ख)** एकत्रित काउंटर :500.00 प्रति इकाई

**(ग)** अन्यर उपकरण :

| **क्षमता** | **शुल्का (रुपये)** |
|---|---|
| 100 लीटर से अधिक | प्रथम 100 लीटर के लिए 500 और प्रत्येउक अतिरिक्त5 500 लीटर अथवा उसके भाग के लिए 250 जमा |
| 100 लीटर से अधिक नहीं किंतु 50 लीटर से अधिक | 500.00 |
| 50 लीटर से अधिक नहीं किंतु 20 लीटर से अधिक | 250.00 |
| 20 लीटर से अधिक नहीं | 200.00 |

**प्रवाह मीटर:**

100 लीटर/मिनट तक प्रवाह दर : 2000;00

100 लीटर/मिनट से अधिक 500 लीटर/मिनट तक : 3000.00

500 मीटर/मिनट से अधिक : 5000.00

**रेखीय मापन उपकरण**

टैक्सीम़आटो रिक्शा0 मीटर :100.00

अन्यस मीटर : प्रथम 1000 मी. के लिए 500 और प्रत्ये क अतिरिक्त 100 मी. अथवा उसके भाग के लिए 5.00

**13 नैदानिक थर्मामीटर** : 0.50 प्रति इकाई

**14 जल मीटर** : 25 प्रति इकाई

**15 पैमाना माप**

| | |
|---|---|
| 30 मि.ली. | 50.00 |
| 60 मि.ली. | 50.00 |
| 100 मि.ली. | 50.00 |

**सीएनजी**

(क)वितरक : 1000.00 प्रति इकाई

(ख) एकत्रण काउंटर : 500.00 प्रति इकाई

**एलपीजी**

(क)वितरक : 1000.00 प्रति इकाई

(ख) एकत्रण काउंटर : 500.00 प्रति इकाई

**काउंटर मशीन-**

(क)10 कि.ग्रा. क्षमता तक : 20 /-

(ख) 10 कि.ग्रा. से अधिक क्षमता

## अनुसूचि IV

(नियम -11(4) व (5) देखें)

दमण और दीव प्रशासन

भार और मापन के निर्माताओं, मरम्म तकर्ताओं डीलरों को लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण आदि करने हेतु लाईसेंस शुल्कओ और नवीरकणीय शुल्कर

(1)

i. निर्माता:500/-

ii. मरम्म तकर्ता:100/-

iii. डीलर :100/-

(2) लाइसेंस में परिवर्तन :50/-

(3) लाइ्रसेंस की अनुलिपि जारी करना :10/-

**25 विधिक माप-पद्धति (भार और माप)**

| क्रम संख्याि | सेवा सुविधाएं | प्रक्रिया | समय-सीमा | किसे संपर्क करें | जुर्माना |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | सभी प्रकार के भार और मापन का सत्याकपन किया जाता है और भारत्तोतलन व मापन हेतु मशीनों और उपकरणों पर मुहर लगाई जाती है। | भार व मापन निरीक्षक भार और मापन रखने वाले स्थेल और प्रत्येलक व्या्पारी का औचक निरीक्षण करता है। वह उपकरणों का निरीक्षण करता है और व्या पारी को सत्याहपन प्रमाणपत्र जारी करता है। | एक से दो सप्ता ह | सहायक नियंत्रक/निरीक्षक भार और मापन | यदि कोई सभी प्रकार के भ ार प्रस्तुपत करने में असफल होता है तो जुर्माना प्रभारित किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान सरकारी राजकोष में चालान के माध्य म से किया जाना है। |